न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 167 / 2023(जी.सी.एम.एस. 2023 / 237)

वादी	बनाम प्रतिवादी
1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार श्रीकरणपुर।	1. पलविन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 30 एच श्रीकरणपुर। 2. अवतार सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 30 एच श्रीकरणपुर। 3. गुरदीप सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 30 एच श्रीकरणपुर। 4. गुरमीत सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 30 एच श्रीकरणपुर। 5. जसविन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 30 एच श्रीकरणपुर। 6. निर्मल सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 30 एच श्रीकरणपुर। 7. प्रदीप कौर पत्नी पलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 30 एच श्रीकरणपुर। 8. गुरबक्श सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 30 एच श्रीकरणपुर।

तारीख रजू:– 06.06.2023

उपस्थितः 1.पैरोकार राज वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 86 आरटीए,

—निर्णय— **दिनांक : 18.11.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 30 एच, पटवार हल्का रामगढसंगर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 57/55 के मुरब्बा नम्बर 17, 20 की कुल 11.976 हैक्टेयर भूमि संयुक्त खाता में प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है। मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 ता 20 पलविन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख साकिन 30 एच के हिस्से में है। चक 30 एच के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 से 2 शीशम, किला नम्बर 3 से खेजडी, व किला नम्बर 5 से 2 शीशम के पेड काटे गये है। उक्त पेड लगभग 1 वर्ष पूर्व काटे हुए प्रतीत होते है। वर्तमान में मौके पर कोई पेड कटे हुए प्राप्त नहीं है। इस जगह पर नई फुटान हो रही है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण ने बिना अधिकार के बिना अनुमति के कृषि भूमि में से पेड काटे है। अप्रार्थी के विरूद्ध वाद प्रथम दृष्टया मामला के तहत प्रस्तुत है। वाद स्वीकार फरमाया जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 5, 7 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आए। इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 2,3,4,6,8 की तलवी के सम्मन अदम तामील प्राप्त होने पर तलवी वन्द की गई।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट पटवारी का अध्ययन किया। वादी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 30 एच, पटवार हल्का रामगढसंगर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 57/55 की प्रति, रिपोर्ट पटवारी हल्का के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के द्वारा अर्ज किया है कि प्रतिवादी के द्वारा चक 30 एच के मुरब्बा नम्बर 20 किला नम्बर 1, 3, 5 की कृषि भूमि में से बिना अधिकार, बिना अनुमति से पेड काटे गए है। इसलिए प्रतिवादीगण को भारी शास्ति राशि से दण्डित किया जावे। रिपोर्ट पटवारी हल्का रामगढसंगर, भू.अ.नि. लखियां के अनुसार प्रतिवादी पलविन्द्र सिंह के द्वारा चक 30 एच के मुरब्बा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

20 के किला नम्बर 1, 3, 5 से बिना अनुमति के वृक्ष काटे गए है। मौके पर कोई अनुमति
का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। कार्यालय तहसीलदार श्रीकरणपुर की राजस्व शाखा की
रिपोर्ट के मुताबिक उक्त प्रकरण के पेड काटने की अनुमति जारी नहीं की गई है। लिहाजा
पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 पलविन्द्र सिंह के द्वारा बिना
अनुमति के चक 30 एच के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1, 3, 5 खेजडी का 1 पेड
व शीशम के 4 पेड काटे है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट पटवारी हल्का, भू.अ.नि., वादी के
द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते
है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 पलविन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह को राजस्व ग्राम 30 एच, पटवार हल्का रामगढसंगर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 57/55 के मुरब्बा नम्बर 20 किला नम्बर 1, 3, 5 मे खेजडी का 1 पेड व शीशम के 4 पेड बिना अनुमति से काटने की एवज में 500/- रुपए की शास्ति राशि राजकोष में जमा करवाए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 पलविन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह से 500/- रुपए की शास्ति राशि वसूल कर, राशि राजकोष में जमा करवाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलाससुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
राजस्थान सरकार बनाम पलविन्द्र सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 86 आरटीए
मुकदमा नम्बर 167/2023
निर्णय दिनांक :- 18.11.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी पैरोकार राज उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 पलविन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह को राजस्व ग्राम 30 एच, पटवार हल्का रामगढसंगर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 57/55 के मुरब्बा नम्बर 20 किला नम्बर 1, 3, 5 मे खेजडी का 1 पेड व शीशम के 4 पेड बिना अनुमति से काटने की एवज में 500/- रुपए की शास्ति राशि राजकोष में जमा करवाए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 पलविन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह से 500/- रुपए की शास्ति राशि वसूल कर, राशि राजकोष में जमा करवाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 18.11.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर, एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	00	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**00**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/2024/593 दिनांकः 18.11.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर